The Arms Rules, 1962
आयुध नियम, 1962

Contents
विषय सूची

Rule	Page
1. संक्षिप्त नाम	46
2. व्याख्या	46
(क) ''अधिनियम''	46
(ख) ''अपीलीय प्राधिकरण''	46
(ग) ''प्राधिकारी'' या ''अधिकारी''	46
(घ) ''कम्पनी''	46
(ङ) ''डीलर''	46
(च) ''जिला मजिस्ट्रेट''	46
(छ) ''प्ररूप''	46
(ज) ''पोर्ट''	46
(झ) ''अनुसूची''	46
(ञ) ''धारा''	46
(ट) ''उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट''	46
3. आयुधों और गोला-बारूदों का वर्गीकरण	46
4. लाइसेंसिंग प्राधिकारी और अनुज्ञप्तियों के प्ररूप	47
5. अपीलीय प्राधिकरण	47
6. कतिपय मामलों में अपीलीय प्राधिकरण को संसूचित किये जाने वाले कारण	47
7. लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को निर्देश और नियन्त्रण	47
8. श्रेणी I के आयुधों या गोलाबारूदों के अर्जन, आधिपत्य या परिवहन के लिए अनुज्ञप्तिय प्रदान करने पर प्रतिबन्ध	47
9. कतिपय प्राधिकारियों को श्रेणीयों I और 2 की अनुज्ञप्तियों की प्रतियां भेजा जाना	48
10. उनके प्रयोग सहित कतिपय प्रयोजनों के लिए आयुधों या गोलाबारूदों का आधिपत्य	48
11. प्रतिबंधों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा	48
12. [x x x]	48
13. प्रतिधारकों का	48
14. फसलों और मवेशी के संरक्षण के लिए अनुज्ञप्तियां	48
15. लक्ष्य अभ्यास के लिए अनुज्ञप्ति	49
16. प्रशिक्षण और लक्ष्य अभ्यास के लिए आयु-सीमा	49
17. यात्रा की (अस्थायी)अनुज्ञप्ति	49
18. अधिनियम की धारा 4 का लागू होना	49

नियम	पृष्ट
19. अग्न्यायुधों के अलावा आयुध	49
20. आयुधों या गोलाबारूद का विनिर्माण, परिवर्तन घटाना, मरम्मत, परीक्षण, विक्रय, इत्यादि	49
21. परिवर्तन, मरम्मत, परीक्षण, विक्रय, इत्यादि	49
22. अग्न्यायुधों की प्रूफ-जांच	50
23. जिला मजिस्ट्रेट को सूचना भेजने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी	50
24. कतिपय आयुधों और गोला-बारूद को विक्रय के लिए रखना या विक्रय	50
25. अग्न्यायुधों पर पहचान चिन्ह	50
26. आयुधों और गोलाबारूद में संव्यवहारों के अभिलेख	51
27. परिसर, स्कन्ध और अभिलेख का निरीक्षण	52
28. आयुधों या गोला-बारूद के पुन: आयात के लिए आयात या निर्यात पर प्रतिबन्ध	52
29. समुद्र या हवा द्वारा आयात	52
30. भारत के क्षेत्रीय पानी में प्रविष्ट होने वाले जलयान	52
31. आयुधों और गोला-बारूद का भूमि या नदी द्वारा आयात	52
32. सद्भावी पर्यटकों द्वारा भारत में आयुधों या गोला-बारूद लाना	52
33. निर्यातों का	53
34. आयुधों और गोला-बारूद का भूमि या नदी द्वारा निर्यात	53
35. समुद्र या हवा द्वारा आयुधों या गोला-बारूद का निर्यात और पुन: आयात	53
36. कतिपय मामलों में सीमा-शुल्क आयुक्त को परिदत्त किये जाने वाले आयुध या गोला-बारूद	54
37. आयुधों और गोला-बारूद के परिवहन का वर्जन	54
38. आयुधों या गोला-बारूद का परिवहन	55
39. आयुधों और गोला-बारूद के आयात, परिवहन और पुन: निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति	56
40. आयुधों और गोलाबारूद रखने वाले परेषणों की प्राधिकारियों द्वारा जांच	56
41. आयात/निर्यात/परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति की प्रस्तुति और परिदान	56

Rule	Page
42. नेपाल सरकार या नेपाल नरेश के लिए आयुधों या गोला-बारूद का आयात, परिवहन और निर्यात	57
43. भारतीय क्षेत्र के जरिये नेपाल में किसी स्थान से नेपाल में किसी अन्य स्थान को आयुधों का परिवहन	57
44. सद्भावी यात्रियों के लिए पारगमित अनुज्ञप्तियां	58
45. आयुधों और गोला-बारूद को अभिरक्षा में रखने की अनुज्ञप्ति	58
46. धारा 21 के अन्तर्गत आयुधों और गोला-बारूद को जमा कराना	58
47. धारा 21 के अन्तर्गत अन्यथा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आयुधों और गोला-बारूद को जमा कराना	60
48. जमा वस्तुओं के अभिलेख और विवरणियां	61
49. निरीक्षण	61
50. कतिपय मामलों में पूर्व सहमति	61
51. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन	62
51-क.	62
52. अनुज्ञप्ति का प्ररूप	62
53. अनुज्ञप्तियों की शर्तों का परिवर्तन	63
54. अनुज्ञप्तियों का नवीकरण	63

नियम	पृष्ठ
55. धारा 17(6) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंहरित करने के लाइसेंसिंग प्राधिकारी या एक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील	63
56. अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया	64
57. अनुज्ञप्ति के लिए देय फीस	64
58. प्रतियों और डुप्लीकेटों के लिए देय फीस	65
59. धारा 18 (1) के अन्तर्गत की गई अपील के लिए याचिका पर देय फीस	65
60. फीस का संग्रहण	65
61. कतिपय मामलों में रजिस्टरों इत्यादि को रखने के लिए डीलर	65
62. अनुज्ञप्ति की प्रस्तुति	65
63. आयुधों की प्रस्तुति	66
64. व्यावृत्ति	66
अनुसूची I	66
अनुसूची II	68
अनुसूची III	77
अनुसूची IV	128

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

The Arms Rules, 1962

आयुध नियम, 1962 [1]

GSR 987 दिनांक 13 जुलाई 1962.—आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं. 54) की धाराओं 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 41 और 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने पर, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात्:—

नियम 1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों को *(आयुध नियम, 1962)* कहा जा सकेगा।

(2) ये 1 अक्टूबर, 1962 को प्रवृत्त होंगे।

नियम 2. व्याख्या.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) *''अधिनियम''* से आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं. 54) अभिप्रेत है;

(ख) *''अपीलीय प्राधिकरण''* से नियम 5 में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) *''प्राधिकारी''* या *''अधिकारी''* से, सिवाय जहां अन्यथा विशेष रूप से इन नियमों में प्रदान किया जाये, जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचित किया जाये;

(घ) *''कम्पनी''* का वही अर्थ होगा, जो इसे धारा 33 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण में निर्धारित किया गया;

(ङ) *''डीलर''* से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो व्यापार या व्यवसाय के जरिये आयुधों या गोला-बारूदों को विक्रय, मरम्मत या परीक्षण के लिए विनिर्मित, परिवर्तित, मरम्मत, साबित, परीक्षण विक्रय, आयात, निर्यात या स्थानान्तरण करता है या रखता है;

(च) *''जिला मजिस्ट्रेट''* में शामिल है—

(i) [x x x]

(ii) किसी जिले या उसके भाग के सम्बन्ध में, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी;

(iii) संघ क्षेत्र के सम्बन्ध में, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी;

(iv) संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 के साथ संलग्नित सूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट आसाम के जनजाति क्षेत्रों के सम्बन्ध में, एक राजनीतिक अधिकारी; और

(v) कलकत्ता उपनगर पुलिस अधिनियम, 1866 (1866 का बंगाल अधिनियम सं. 2) के अन्तर्गत उनके राज-पत्र में प. बंगाल की सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा परिभाषित अनुसार कलकत्ता के उपनगर के सम्बन्ध में, पुलिस कमिश्नर, और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस उप-कमिश्नर, कलकत्ता;

(छ) *''प्ररूप''* से अनुसूची 3 में बनाया गया प्ररूप अभिप्रेत है;

(ज) *''पोर्ट''* में एयरपोर्ट शामिल है;

(झ) *''अनुसूची''* से इन नियमों को संलग्नित अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) *''धारा''* से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ट) ''उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट'' में अतिरिक्त उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट, उप-मण्डलीय अधिकारी और अतिरिक्त उप-मण्डलीय अधिकारी अभिप्रेत है।

नियम 3. आयुधों और गोला-बारूदों का वर्गीकरण.—अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, ''आयुध'' और ''गोला-बारूद'' अनुसूची 1 के कॉलम 2 और 3 में क्रमानुसार विनिर्दिष्ट श्रेणियों के होंगे और इन नियमों में आयुधों और गोलाबारूदों की किसी श्रेणी को निदेशों की व्याख्या तदनुसार की जायेगी।

१. भारत का राज-पत्र, भाग II, खण्ड 3(i), दिनांक 28.7.1962 में प्रकाशित।

नियम 4. लाइसे
को उन प्ररूपों में उन
के लिए और उन क्षे
और अनुज्ञप्ति में विनि

परन्तु लाइसेंसिंग
द्वारा हस्ताक्षरित किया

नियम 5. अपीलीय
निम्न सूची के कॉलम
कॉलम (2) में तत्स्थानी

	अपीलीय प्राधिकरण
	(2)
(क) तहसीलदार या प्र या उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट	श्रेणी का मजिस्ट्रेट — जिला मजिस्ट्रेट
(ख) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट	(i) मण्डल का कमिश्नर, या संघ क्षेत्र में, उसका प्रशासक, या (ii) तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश और केरल राज्यों में, राजस्व मण्डल, या (iii) जम्मू और कश्मीर, प. बंगाल, गुजरात राज्यों में और उपरोक्त (ii) प्रविष्टि में नहीं किसी अन्य राज्य में, जिसमें क्षेत्र, राज्य सरकार के कमिश्नर का कोई पद नहीं हो
(ग) पुलिस कमिश्नर	राज्य सरकार
(घ) संघ क्षेत्र में मण्डल का कमिश्नर	प्रशासक
(ङ) भारतीय मिशन का प्रधान या राजनीतिक अधिकारी	केन्द्रीय सरकार
(च) अन्य विशेष रूप से सशक्त अधिकारी	सशक्त किया गया वह प्राधिकारी

री और अनुज्ञप्तियों के प्ररूप.—अधिनियम के अध्याय 2 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तियों द्वारा उन प्रयोजनों के लिए स्वीकृत या नवीनीकृत किया जा सकेगा और उस अवधि अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किया जाये, उन शर्तों के अनुसार, जिन्हें उस अनुसूची में ाये, विधिमान्य किया जा सकेगा:

स्वीकृत या नवीनीकृत अनुज्ञप्तियों को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ उस अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सशक्त किया जाये।

—(1) अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, अपीलीय प्राधिकरण, जिसे ष्ट लाइसेंसिंग या अन्य प्राधिकारी के आदेश से एक अपील की जायेगी, उसके निर्दिष्ट होगा:

सूची

(2) अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (6) के प्रयोजन के लिए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अपीलीय प्राधिकरण के अधीनस्थ के रूप में माना जायेगा।

नियम 6. कतिपय मामलों में अपीलीय प्राधिकरण को संसूचित किये जाने वाले कारण.—जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी की राय हो कि आवेदन को अनुज्ञप्ति की अस्वीकृति, नवीनीकरण, शर्तों के परिवर्तन, प्रतिसंहरण या निलम्बन के लिए कारणों को देना लोक हित में नहीं होगा, तो उसके लिए अभिलेखित कारणों और मामले के तथ्यों को अपीलीय प्राधिकरण को उसके द्वारा संसूचित किया जायेगा।

नियम 7. लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को निर्देश और नियन्त्रण.—सभी लाइसेंसिंग प्राधिकारी अपने सम्बन्धित अपीलीय प्राधिकरणों के निर्देश और नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

नियम 8. श्रेणी 1 के आयुधों या गोलाबारूदों के अर्जन, आधिपत्य या परिवहन के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान करने पर प्रतिबन्ध.—(क) कोई भी अनुज्ञप्ति श्रेणियों 1 (ख), 1 (ग) और 1 (घ) के आयुधों या गोला-बारूदों के अर्जन, आधिपत्य या परिवहन के लिए तब तक प्रदान नहीं की जायेगी, जब तक कि उन्हें भारत में विधिपूर्वक आयातित न किया जाये या केन्द्रीय सरकार की संस्वीकृति के साथ भारत में आयातित न किया जाता हो।

(ख) श्रेणियों 1 (ख) और 1 (ग) के गोलाबारूदों में अर्जन, आधिपत्य या परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति को केवल तब प्रदान किया जायेगा, यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि गोला-बारूद को राइफलों या मस्केटों के साथ जिन्हें खेल के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्वक प्रयुक्त किया जाता है, या पिस्तोलों या रिवॉल्वरों के साथ, जिन्हें भारत में विधिपूर्वक आयातित किया गया है, प्रयुक्त किया जाना है; और गोला-बारूद की राशि को, जिसे अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्रदान

करने के तुरन्त बाद की तिथि के 12 महीनों की प्रत्येक अवधि के दौरान रख सकता है, अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट किया जायेगा।

नियम 9. कतिपय प्राधिकारियों को श्रेणी 1 और 2 की अनुज्ञप्तियों की प्रतियां भेजा जाना.—श्रेणी 1 (क), 1 (ख), 1 (ग), 1 (घ) और 2 के आयुधों और गोला-बारूदों के लिए स्वीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति की प्रति तुरन्त निम्नलिखित को भेजी जायेगी—

(क) उस स्थान के जिला मजिस्ट्रेट को, जिसमें आयुधों या गोला-बारूदों को रखा जाना है, या

(ख) राज्य सरकार को, यदि वह स्थान जम्मू और कश्मीर राज्य में है।

नियम 10. उनके प्रयोग सहित कतिपय प्रयोजनों के लिए आयुधों या गोला-बारूदों का आधिपत्य—केवल उन प्रयोजनों के लिए उनके प्रयोग को प्रत्येक के विरुद्ध उल्लेखित प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित आयुधों या गोला-बारूदों के आधिपत्य को शामिल करता है, परन्तु ऐसा प्रयोग किन्हीं आयुधों या गोला-बारूदों के (विस्फोटकों और गोलाबारी सहित) विनिर्माण को सम्मिलित नहीं करता:—

(क) दौड़ों या एथलेटिक्स मीटों के लिए नाटकीय अनुपालन, सिनेमाटोग्राफ प्रस्तुति या सिग्नल करने के लिए आयुध;

(ख) सद्भावी औद्योगिक, कृषि या औषधीय प्रयोजनों के लिए गोला-बारूद के अवयव।

नियम 11. प्रतिबंधों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा—(1) राज्य, जिसमें इसे स्वीकृत किया गया, के बाहर प्रभाव रखने वाली कोई अनुज्ञप्ति किन्हीं प्रतिबंधों के अनुसार होगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के विशेष या साधारण आदेश द्वारा अधिरोपित किया जाये।

(2) जहां सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस सम्बन्ध में उसे विशेष रूप से अधिकृत किया जाये, के अलावा, अनुज्ञप्तिधारी किसी शैक्षणिक संस्था के कैम्पस या अहाते के भीतर अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत्त किन्हीं आयुधों को नहीं ले जायेगा।

नियम 12. [x x x]

नियम 13. प्रतिधारकों का—(1) जब प्ररूप 3 में अनुज्ञप्ति प्राप्त किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद का मालिक खेल, संरक्षण या दिखाने के लिए अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत्त किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद को इस सम्बन्ध में, चाहे उसकी उपस्थिति में या नहीं, रखने या परिवहन के लिए अपने अभिकर्ता, रिश्तेदार या कर्मचारी को अनुमति देने के लिए आवेदन करता है, और धारा 3 के परन्तुक में उल्लेखित से अलग उन परिस्थितियों में, उस अभिकर्ता, रिश्तेदार या कर्मचारी को, यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी इसे सक्षम विचारित करे, प्ररूप 3 में मालिक की अनुज्ञप्ति के कॉलम 6 में उसके नाम और अन्य विशिष्टियों को प्रविष्ट करते हुए प्रतिधारक के रूप में दर्शा सकेगा।

(2) इसके परिसरों या सम्पत्ति के संरक्षण के लिए कम्पनी को प्रदान प्ररूप 3 में अनुज्ञप्ति कम्पनी के सदस्य, अभिकर्ता या अन्य प्रतिनिधि के नाम में होगी, जो हथियार की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। कम्पनी के परिसरों या सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए हथियार सुपुर्द किये सेवक या किसी अन्य कर्मचारी के नाम को अनुज्ञप्ति के पर्याप्त कॉलम में प्रतिधारक के रूप में प्रविष्ट किया जायेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी अनुज्ञप्ति में दर्शाये गये प्रत्येक उन प्रतिधारकों के लिए प्ररूप 3-ख में परमिट को अनुज्ञप्तिधारी को जारी करेगा। परमिट कम्पनी के प्रतिनिधि की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जायेगा और प्रतिधारकों को दे दिया जायेगा, जब उन्हें अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत्त हथियार सौंपा जाये:

परन्तु लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रतिधारक के पूर्ववर्तियों के बारे में पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और प्रतिधारक के रूप में उसे स्वीकृत करने से पहले उस रिपोर्ट को विचारित करेगा।

(3) आयुधों या गोलाबारूद के आधिपत्य और परिवहन के लिए प्ररूप 3-क में अनुज्ञप्ति को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से मुक्त व्यक्ति द्वारा उसके प्रतिधारक के रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रदान किया जा सकेगा:

परन्तु अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत्त आयुधों या गोला-बारूद को प्रयुक्त करने के लिए मुक्त व्यक्ति से अलग प्रतिधारक के पास कोई अधिकार नहीं होगा, और अनुज्ञप्ति को उस दिन प्रवृत्त होने से समाप्त किया जायेगा, जिस दिन पर मुक्त व्यक्ति को छूट प्राप्त रूप में समाप्त किया जाये, या प्रतिधारक को छूट प्राप्त की सेवा के रूप में समाप्त किया जाये:

परन्तु और लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रतिधारक के पूर्ववर्तियों के बारे में पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और प्रतिधारक के रूप में उसे स्वीकृत करने से पहले उस रिपोर्ट को विचारित करेगा।

नियम 14. फसलों और मवेशी के संरक्षण के लिए अनुज्ञप्तियां—(1) जहां अनुज्ञप्ति प्ररूप 5 में प्रदान की जाये, वहां अनुज्ञप्तिधारी के परिवार के किसी भी सदस्य या फसलों या मवेशी की देखभाल करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित सेवक या उसके साथ रह रहे किसी सेवक को, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के स्वविवेक में, उसके कॉलम 2 में उसके नाम और विशिष्टियों को प्रविष्ट करते हुए अनुज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में वन्य जन्तु के विरुद्ध फसलों या मवेशी

की सुरक्षा करने के लिए अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत्त किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद का परिवहन करने के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) जहां किसी पतझड़ के मौसम की समाप्ति के पश्चात्, राज्य सरकार इसे समीचीन विचारित करे, कि किसी क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण के लिए, प्ररूप 5 में अनुज्ञप्ति प्राप्त किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद को अनुज्ञप्ति प्राप्त डीलर के पास या पुलिस स्टेशन में जमा कराया जाना चाहिए, वहां यह आदेश द्वारा उन आयुधों या गोला-बारूद को उस अवधि के लिए जमा कराने के लिए किसी अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकता है, जिस अवधि तक आयुधों या गोला-बारूद की आवश्यकता फसलों या मवेशी के संरक्षण के लिए न हो, और जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, और उस पर अनुज्ञप्तिधारी उस अनुज्ञप्ति की अनुपालना करने के लिए बाध्य होगा।

नियम 15. लक्ष्य अभ्यास के लिए अनुज्ञप्ति—जहां प्ररूप 6 में अनुज्ञप्ति को किसी मिलिट्री मैस, क्लब या संस्था के नाम में स्वीकृत किया जाये, वहां अनुज्ञप्ति की शर्तों की अनुपालना में मैस, क्लब या संस्था के प्रयोजनों के लिए उस अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत्त अग्न्यायुध या गोला-बारूद को प्रयुक्त करने के लिए उस मैस, क्लब या संस्था के किसी सदस्य के लिए विधिपूर्ण होगा।

नियम 16. प्रशिक्षण और लक्ष्य अभ्यास के लिए आयु-सीमा—सोलह वर्ष से कम आयु के, लेकिन बारह वर्ष से कम आयु का नहीं, किसी भी व्यक्ति को वयस्क निर्देशक या अनुज्ञप्तिधारी की उपस्थिति में या उनके मार्गदर्शन और अधीक्षण के अन्तर्गत उस अग्न्यायुध के प्रयोग में प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए अग्न्यायुध के प्रयोग को अनुमति दी जा सकेगी:

परन्तु सोलह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को उस व्यक्ति, जो उस अग्न्यायुध के परिवहन के लिए विधिपूर्ण हकदार है, की उपस्थिति और अधीक्षण के अलावा, लोक स्थल में अनुज्ञप्ति की आवश्यकता वाले किसी अग्न्यायुध के परिवहन के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, *"वयस्क"* से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने इक्कीस वर्षों की आयु पूर्ण कर ली हो।

नियम 17. यात्रा की (अस्थायी) अनुज्ञप्ति—(1) नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, प्ररूप 8 में अनुज्ञप्ति को यात्रा के स्थान पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यात्रा की अवधि के लिए आयुधों या गोला-बारूद के कब्जे या परिवहन के लिए भारत में उसकी यात्रा के स्थान से भारत में गन्तव्य के उसके स्थान तक जाने के लिए किसी सद्भावी यात्रा के लिए प्रदान किया जा सकेगा।

(2) ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी के गन्तव्य के स्थान पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजी जायेगी; वह प्राधिकारी स्वयं को सन्तुष्ट करेगा, जब आवश्यक हो, कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के प्ररूप पर प्रविष्ट शर्त 7 की अनुपालना की।

नियम 18. अधिनियम की धारा 4 का लागू होना—धारा 4 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में, उस श्रेणी या वर्णन के, जिन्हें उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, आयुधों के उस क्षेत्र में अर्जन, आधिपत्य या परिवहन के लिए अनुज्ञप्तियों को उन शर्तों के अनुसार, जिन्हें उस अनुसूची में और अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाये, अनुसूची 2 में प्रदान किये अनुसार प्रदान या नवीनीकृत भी किया जा सकेगा।

नियम 19. अग्न्यायुधों के अलावा आयुध—जब तक कि राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकार निर्देशित न करे, किसी भी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के अलावा श्रेणी 5 के आयुधों के विक्रय या जांच के लिए विनिर्माण, विक्रय, आधिपत्य के लिए नहीं होगी।

नियम 20. आयुधों या गोलाबारूद का विनिर्माण, परिवर्तन घटाना, मरम्मत, परीक्षण, विक्रय, इत्यादि—(1) लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जब प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति प्रदान कर रहा हो, अनुज्ञप्ति प्ररूप में स्पष्ट रूप से दर्शायेगा—

(i) अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत्त आयुधों या गोला-बारूद की श्रेणियों और वर्णन को;

(ii) आयुधों या गोलाबारूद की विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में स्वीकृत संव्यवहारों को; और

अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत्त नहीं किन्हीं संव्यवहारों या श्रेणियों या आयुधों या गोला-बारूद को लोपित करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी के व्यवसाय, फैक्टरी या दुकान के स्थान के जिला मजिस्ट्रेट के अलावा प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 9 में प्रदान प्रत्येक अनुज्ञप्ति की प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेजी जायेगी।

नियम 21. परिवर्तन, मरम्मत, परीक्षण, विक्रय, इत्यादि—(1) जहां एक अनुज्ञप्ति को अग्न्यायुधों या गोला-बारूद

की किसी श्रेणी के परिवर्तन या मरम्मत के लिए, लेकिन विनिर्माण के लिए नहीं, प्ररूप 9 या प्ररूप 11 में प्रदान की जाती है, तो यह उन अग्न्यायुधों या गोला-बारूद के परिवर्तन या मरम्मत के प्रयोजन के लिए, लेकिन विनिर्माण के लिए नहीं, अवयवों या भागों को संविरचन करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को हकदार करता है, तो उन अवयवों या भागों को किसी श्रेणी के पूर्व अग्न्यायुधों या गोला-बारूद में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जायेगा, जिसे विनिर्मित करने के लिए उसको अनुमति नहीं दी गयी।

(2)(क) प्ररूप 9 में अनुज्ञप्ति किसी डीलर को अग्न्यायुध को घटाने के लिए या कृत्रिम अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में परिवर्तित करने के लिए हकदार नहीं करेगी, जब तक कि उसके पास विशेष रूप से प्ररूप 9 में दर्शाने के लिए अनुज्ञप्ति न हो, कि उसे अग्न्यायुध को घटाने के लिए या कृत्रिम अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में परिवर्तित करने के लिए स्वीकृति दी गई है।

(ख) किन्हीं भी परिस्थितियों के अन्तर्गत राइफल या स्मूथ-बोर बन्दूक के बैरल को एक डीलर नहीं घटायेगा, ताकि परिणामित लम्बाई 20 इंच से कम न हो।

(ग) मामलों के वर्णनों को, जिसमें बैरलों को घटाया जाता है और कृत्रिम अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में परिवर्तित किया जाता है, उस प्ररूप में, जिसमें अपेक्षित हो, जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक महीने सूचित किया जायेगा।

(3) मरम्मत या परीक्षण के लिए या अग्न्यायुधों या गोला-बारूद का विक्रय करने के लिए प्ररूप 11, प्ररूप 12 या प्ररूप 13 में अनुज्ञप्ति रखने वाला डीलर अग्न्यायुधों या गोला-बारूद को परीक्षण रेंज या अन्य स्थान में परीक्षण के लिए नहीं लेगा, जब तक कि उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा ऐसा करने के लिए विशेष रूप से स्वीकृत नहीं किया जाये, और वह केवल उस तरीके में और उन शर्तों में ही परीक्षणों को करेगा, जिन्हें उसमें प्रतिपादित किया जाये।

(4) जहां गोलाबारूद के परिवर्तन के लिए प्ररूप 9 या प्ररूप 11 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, वहां यह किसी गोला-बारूद को लोड या री-लोड करने के लिए या एकल/बहुयी प्रक्षेपी गोला-बारूद में किसी प्रक्षेपी को नहीं रखने वाले किन्हीं गोला-बारूदों या खाली कारतूसों में परिवर्तित करने के लिए हकदार नहीं करेगा।

नियम 22. अग्न्यायुधों की प्रूफ-जांच.—(1) अनुज्ञप्ति प्राप्त डीलर द्वारा विनिर्मित अग्न्यायुधों की प्रूफ-जांच केवल विनियमनों की अनुपालना में की जायेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जा सकेंगे या उन प्राधिकरणों द्वारा बनाये जा सकेंगे, जिन्हें इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और उस सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाये।

(2) कोई भी डीलर किसी अग्न्यायुध का विक्रय नहीं करेगा, जिसकी सम्यक रूप से प्रूफ-जांच नहीं की गई।

नियम 23. जिला मजिस्ट्रेट को सूचना भेजने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी.—जिला मजिस्ट्रेट के अलावा किसी प्राधिकारी द्वारा किसी प्ररूप में स्वीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति की प्रति उस क्षेत्र पर, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार और निवास का स्थान स्थित है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेजी जायेगी।

नियम 24. कतिपय अग्युधों और गोला-बारूद को विक्रय के लिए रखना या विक्रय.—(1) राज्य सरकार, या तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश या केरल राज्यों में, राजस्व मण्डल, प्ररूप 11 या प्ररूप 12 में इसके द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति द्वारा श्रेणी 1 (ग) के विनिर्दिष्ट राशि के गोला-बारूद के विक्रय के रूप रखने या विक्रय के लिए चयनित डीलरों को अधिकृत कर सकता है।

(2) प्ररूप 9, प्ररूप 11 या प्ररूप 12 में अनुज्ञप्ति रखने वाला डीलर किसी व्यक्ति को श्रेणी 1 (ख) या 1 (ग) के किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद का विक्रय या अन्तरण तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उन आयुधों या गोला-बारूद का अर्जन या कब्जे को उसकी अनुज्ञप्ति में या छूट के उसके प्रमाण-पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकृत नहीं किया जाये।

नियम 25. अग्न्यायुधों पर पहचान चिन्ह.—(1) अग्न्यायुधों का विनिर्माता उसके द्वारा विनिर्मित प्रत्येक अग्न्यायुध को मोहरित करेगा, ताकि अलग से दर्शाया जा सके—

(क) बनाने वाले का नाम और पंजीकृत ट्रेडमार्क, यदि कोई हो;

(ख) उसके रजिस्टर में प्रविष्टि अनुसार हथियार की क्रम संख्या और मोहर का वर्ष; और

(ग) प्रूफ-चिन्ह;

जिस प्रकार से निम्नलिखित सूची में दर्शाया:—

सूची

हथियार	विनिर्माता का नाम	क्रम संख्या (रजिस्टर सं.)	प्रूफ-चिन्ह
1	2	3	4
1. डी बी बी एल हथियार	(i) पीछे के भाग के पास सबसे ऊपर फट्टे पर	(i) फास्टनर पर	(i) बैरल के फ्लैटों पर
	(ii) एक्शन हिस्से के पास	(ii) एक्शन हिस्से के फ्लैटों पर	(ii) एक्शन हिस्से की तरफ
2. एस बी बी एल हथियार	(i) पीछे के भाग के पास बैरल पर	(i) फास्टनर पर	(i) बैरल के फ्लैट पर
	(ii) एक्शन हिस्से के पास	(ii) बैरल के फ्लैट पर	(ii) एक्शन हिस्से के पास
		(iii) एक्शन हिस्से के पास	
3. एम एल हथियार	(i) नॉजल के पास रिब पर या बैरल पर	(i) नॉजल के पास बैरल पर	(i) बैरल पर
	(ii) साइड प्लेटों पर	(ii) एक्शन हिस्से पर	
4. रिवॉल्वरें	बैरल पर	(i) बैरल पर	(i) बैरल पर
		(ii) चेम्बर पर	(ii) बॉडी पर
		(iii) बॉडी पर	(iii) सिलिण्डर पर
5. पिस्तौलें	फ्रेम पर	फ्रेम पर	(i) बैरल पर
			(ii) बॉडी पर

(2) जब डीलर द्वारा विक्रय के लिए रखे गये आयातित अग्न्यायुध विनिर्माता के नाम को नहीं रखता, तो राज्य सरकार द्वारा आबंटित किये अनुसार आयातक के उस अलग चिन्ह को बैरल पर (उस पर विद्यमान नम्बर, यदि कोई हो, के निकट) और उप-नियम (1) के अन्तर्गत सूची के कॉलम (2) में दर्शाये अनुसार अन्य भागों पर खोदा जायेगा; यदि बैरेल पर एक से अधिक नम्बर हो, तो अलग चिन्ह को मूल इनवॉइस पर उपस्थित संख्या पर लगाया जायेगा। जब विनिर्माता की संख्या केवल ट्रिगर गार्ड या अन्य परिवर्तनीय भाग पर आते हों, तो उस नम्बर को सूची के कॉलम (3) में दर्शाये भाग पर खोदा जायेगा।

(3) एक व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई अग्न्यायुध है, जिस पर अलग प्रकार से विनिर्माता का नाम, उप-नियम (1) में उल्लेखित अनुसार अन्य पहचान चिन्ह नहीं है, निम्नलिखित शामिल करते हुए अग्न्यायुध पर मोहरित पहचान चिन्ह लगायेगा—

(क) ऐसे अन्य अक्षर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जाये;

(ख) संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आयुध रजिस्टर में कब्जे अनुज्ञप्ति की क्रम संख्या या, उनके कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति लेने के लिए बाध्यता से मुक्त व्यक्ति के कब्जे में अग्न्यायुधों के सम्बन्ध में, शब्द "Ex"; और

(ग) मोहर का वर्ष,

उस क्रम में और निम्नलिखित तरीके में:—

1. राइफलें	—	बैरल और फट्टे पर
2. बन्दूकें और पिस्तौलें	—	बैरल पर
3. रिवॉल्वरें	—	फट्टे और सिलिण्डर पर

नियम 26. आयुधों और गोलाबारूद में संव्यवहारों के अभिलेख.—(1) प्रत्येक डीलर प्राप्तियों, निपटारों, उपलब्ध स्कन्धों के शेष और विभिन्न श्रेणियों के आयुधों या गोला-बारूद के दैनिक विक्रयों को दर्शाने के लिए उन रजिस्टरों को रखेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये और ऐसी अन्य सूचनाएं प्रदान करेगा, जो अपेक्षित हों।

(2) उन रजिस्टरों में संव्यवहारों की प्रत्येक प्रविष्टि उसी दिन व्यवसाय के घंटों की समाप्ति से पहले की जाये और विक्रय या अन्तरण के मामले में, डीलर संव्यवहार के समय पर पहचान के लिए पर्याप्त विशिष्टियों को देने लिए क्रेता या अन्तरणी से, यदि उसे नहीं पहचाने, आवश्यकता करेगा, और रजिस्टरों में उन विशिष्टियों को तु प्रविष्ट करेगा।

नियम 27. परिसर, स्कन्ध और अभिलेख का निरीक्षण.—प्रत्येक मजिस्ट्रेट और इन्सपेक्टर की रैंक से कम पुलिस अधिकारी, या यदि केन्द्रीय सरकार निर्देशित करे, अपने प्राधिकरण की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्य कर सब-इन्सपेक्टर, या इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सशक्त केन्द्रीय सरकार का कोई भी अधिकारी—

(क) उन परिसरों में प्रविष्ट हो सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जिसमें आयुधों या गोला-बारूद का विनिम किया जाता है, या जिसमें आयुधों या गोला-बारूद को विनिर्माता द्वारा रखा जाता है, या उन आयुधों या गोला-बा में; और

(ख) आयुधों और गोलाबारूद की प्राप्तियों और निपटारों के लेखों और स्कन्ध या अन्य किन्हीं रजिस्टरों या दस्ता की जाँच कर सकता है।

नियम 28. आयुधों या गोला-बारूद के पुन: आयात के लिए आयात या निर्यात पर प्रतिबन्ध—एक अनुज्ञ को डाक घर के माध्यम के जरिये किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद के आयात या निर्यात या पुन: आयात के लिए प्र नहीं किया जायेगा।

नियम 29. समुद्र या हवा द्वारा आयात—आयुधों या गोला-बारूद को उस व्यक्ति द्वारा भारत में लाया गया म जायेगा, जब उन आयुधों या गोला-बारूद को अभिकर्ता के जरिये आयातित किया जाता है और—

(i) सीधे ही उस व्यक्ति को परेषित कर दिया जाता है, या

(ii) उस अभिकर्ता को परेषित कर दिया जाता है, यदि अभिकर्ता उस व्यक्ति से प्रमाण-पत्र रखता है कि आयुध गोला-बारूद उसकी सद्भावी सम्पत्ति है और अभिकर्ता केवल कस्टम गृहों से आयुधों और गोला-बारूद को छुड़ है और उसे भेजता है।

नियम 30. भारत के क्षेत्रीय पानी में प्रविष्ट होने वाले जलयान—भारत के क्षेत्रीय पानी में प्रविष्ट होने वाले उस पानी को छोड़ने वाले जलयान द्वारा परिवहित आयुधों या गोला-बारूद को इससे असंबंधित आयातित या निर्यात जो भी स्थिति हो, माना जायेगा, कि आयुधों या गोला-बारूद को परिवहित करने वाला जलयान जगह नहीं देता।

नियम 31. आयुधों और गोला-बारूद का भूमि या नदी द्वारा आयात—(1) जहां अनुज्ञप्ति प्ररूप 16 में प्र की जाती है और वस्तुओं को भारत की सीमा पर नहीं क्षेत्र को परेषित किया जाता है, तो अनुज्ञप्ति की एक प्रति क्षेत्र पर, जिससे वे उस सीमा को पार करते हैं, अधिकारिता रखने वाले संबंधित राज्य की सरकार या जिला मजिस् को इसे प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा तुरन्त भेजी जायेगी; और राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट अपने, इसके स्वविव में उसे लिये जाने के लिए स्वीकृत करने से पूर्व अपने/उसके निरीक्षण के लिए आयुधों या गोला-बारूद को प्रस्तुत क के लिए अपेक्षा कर सकता है।

(2) जहां आयुधों या गोला-बारूद को रेल द्वारा आयातित किया जाता है, वहां अनुज्ञप्ति की एक प्रति उस स्थ पर, जिसे उन आयुधों या गोला-बारूद को परेषित किया जाता है, रेलवे प्राधिकारियों को इसे प्रदान करने वाले प्राधिक द्वारा तुरन्त भेजी जायेगी।

नियम 32. सद्भावी पर्यटकों द्वारा भारत में आयुधों या गोला-बारूद लाना—(1) उप-नियम (1क) में निर्दि प्रेषण की तिथि से छ: महीनों की अवधि के लिए मान्य अनुज्ञप्ति को भारत में पर्यटक के पहुंचने की अनुमानित ति से छ: महीने पहले, जहां तक व्यवहारिक हो, धारा 10 की उप-धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सद्भ पर्यटकों को प्ररूप 3 में प्रदान की जा सकेगी:

परन्तु प्रदान अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता केवल उस अनुज्ञप्ति के प्रेषण की तिथि से आरम्भ होगी और कि अनुज्ञ द्वारा आवृत्त आयुधों और गोला-बारूद को अनुज्ञप्ति के प्रेषण की तिथि तक प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

(1-क) जब एक अनुज्ञप्ति को उप-नियम (1) के अन्तर्गत सद्भावी पर्यटक को प्ररूप 3 में प्रदान किया जाता है, पर्यटक के पासपोर्ट/वीसा के साथ अनुज्ञप्ति को पर्यटक के उतरने के पश्चात् यथाशीघ्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी के प्र प्रस्तुत किया जायेगा और बाद में—

(क) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अन्डरटेकिंग को प्राप्त करने के पश्चात्, प्रेषण की तिथि से छ: महीनों की अवधि लिए इसे मान्य करते हुए अनुज्ञप्ति को प्रेषित करेगा; और

(ख) सभी आयुधों और गोला-बारूद की, जिसके लिए अनुज्ञप्ति को प्रदान किया गया, पूर्ण विशिष्टियों को देते हुए पासपोर्ट/वीसा में प्रविष्टि करेगा।

(2) लाइसेंसिंग प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से लिखित में अन्डरटेकिंग प्राप्त करेगा कि वह उस स्थान पर, जहां वह विक्रय या अन्तरण किया जाये, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना भारत में किसी को आयुधों या गोला-बारूद का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा, और जहां आयुधों या गोला-बारूद को विक्रय या अन्तरित किया जाता है, वहां वह कस्टम प्राधिकारी को सूचित करेगा और शुल्क का भुगतान करेगा, यदि कोई हो।

(3) पासपोर्ट जांचने वाला प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त कोई अन्य अधिकारी पोर्ट पर या भारत से जाने के अन्य स्थान पर सत्यापित करेगा कि पासपोर्ट/वीसा में प्रविष्ट आयुधों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारत से बाहर ले जाया जा रहा है और अनुज्ञप्ति को प्राप्त करेगा और उस प्राधिकारी को इन टिप्पणियों के साथ भेज देगा, जिसने इसे जारी किया, कि आयुधों को सम्यक रूप से पुन: निर्यात या विधिपूर्वक विक्रय या भारत में अन्तरित किया गया, जो भी स्थिति हो।

नियम 33. निर्यातों का—(1) विदेशी क्षेत्र या कॉमनवेल्थ में पोर्टों को सीमा-शुल्क पोर्टों से आयुधों या गोला-बारूद को समुद्र या हवा द्वारा निर्यात के लिए प्ररूप 17 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी उस अनुज्ञप्ति की एक प्रति अभिकर्ता या जलयान के मालिक या हवा कैरियर के मालिक को भेजेगा, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत आयुधों या गोला-बारूद को भारत से बाहर भेजा जाना आशयित है।

(2) निम्नलिखित वर्णन के हथियारों को निर्यातित किये जाने हेतु स्वीकृत नहीं किया जायेगा, अर्थात्:—

(i) पुरावशेष (निर्यात नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 31) के अन्तर्गत ''पुरावशेष'' की परिभाषा के भीतर आने वाले हथियार;

(ii) वर्तमान और प्रसिद्ध बोर के हथियार, जिसके लिए गोला-बारूद देश में उपलब्ध हैं; और

(iii) स्वचालित हथियार और हथियार जो संघ की पुलिस या आयुध बलों द्वारा प्रयोग में हैं।

(3) अग्न्यायुधों के निर्यात के लिए प्ररूप 17 या प्ररूप 18 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन को केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व के निदेशक-जनरल से इस प्रभाव के प्रमाण-पत्र द्वारा संलग्न किया जायेगा, कि निर्यात किये जाने के आशयित आयुध पुरावशेष (निर्यात नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 31) के अन्तर्गत *''पुरावशेष''* की परिभाषा के भीतर नहीं आते। यदि आवेदन केन्द्रीय सरकार को किया जाता है, तो इसे उस स्थान के, जहां से हथियारों को निर्यात किये जाने हेतु यह सत्यापित करते हुए आशयित है कि हथियार उप-नियम (2) में उल्लेखित किसी भी प्रकार से सम्बन्धित नहीं है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी से अन्य प्रमाण-पत्र द्वारा संलग्न किया जायेगा।

नियम 34. आयुधों और गोला-बारूद का भूमि या नदी द्वारा निर्यात—जहां भूमि या नदी द्वारा आयुधों या गोला-बारूद के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति को प्ररूप 18 में स्वीकृत किया जाता है, वहां अनुज्ञप्ति की एक प्रति लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित को तुरन्त भेजी जायेगी—

(क) जहां आयुधों या गोला-बारूद को रेल द्वारा निर्यातित किया जाता है, वहां उस स्थान के जिला मजिस्ट्रेट को, जहां से परेषण को प्रेषित किया जाना है, या जम्मू और कश्मीर राज्य में, राज्य सरकार को, और वह प्राधिकारी उस स्टेशन पर, जहां से परेषण को प्रेषित किया जाना है, रेलवे प्राधिकारियों को एक प्रति तुरन्त भेजेगा;

(ख) जहां आयुधों या गोला-बारूद को सड़क या नदी द्वारा निर्यातित किया जाता है, वहां उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को, जहां से उन्हें भारत की सीमा को पार करना है; और वह मजिस्ट्रेट अपने स्वविवेक में क्षेत्र को छोड़ने के लिए उन्हें स्वीकृत करने से पहले अपनी निरीक्षण के लिए आयुधों या गोला-बारूद को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकता है।

नियम 35. समुद्र या हवा द्वारा आयुधों या गोला-बारूद का निर्यात और पुन: आयात—(1) प्ररूप 19 में अनुज्ञप्ति को भारत में एक स्थान से समुद्र या हवा द्वारा आयुधों या गोला-बारूद के निर्यात के लिए और भारत में अन्य स्थान में पुन: आयात के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा—

(क) केन्द्रीय सरकार या इसके द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा, यदि—

(i) आयुधों या गोलाबारूद को समुद्र द्वारा या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवा द्वारा या भारत के भाग नहीं किसी मध्यवर्ती क्षेत्र से ले जाया जाता है, या

(ii) मृतक या विक्षिप्त व्यक्ति की सम्पदा के रूप में आयुधों या गोला-बारूद को, जो भारतीय नेवी अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 62) का विषय था या है, या जिसकी सम्पदा को आर्मी और एयरफोर्स (व्यक्तिगत

सम्पत्ति का निपटारा) अधिनियम, 1950 (1950 का सं. 40) के अन्तर्गत बरता गया, जहां आयुधों या गोला-बा
को उस मृतक या विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी, विधवा, विधिक प्रतिनिधि या अगले उत्तराधिकारी को भेजी ज
हो; या

(ख) लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा—

(i) गन्तव्य के स्थान पर आयात के लिए, या

(ii) नियम 50 के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार गन्तव्य के स्थान पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी की गत स्वीकृति के अनु
प्रेषण के स्थान पर निर्यात के लिए—

यदि आयुधों या गोला-बारूद को समुद्र द्वारा या आन्तरिक हवाई सेवा द्वारा ले जाया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, भारत में कोई एक्स-फ्रेन्च सेटलमेंटस ''भारत'' में शामिल है।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रदान प्रत्येक अनुज्ञप्ति की एक प्रति को इसे प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्व
निम्नलिखित को तुरन्त भेजा जायेगा—

(क) वस्तुओं के प्रेषण/गन्तव्य स्थान के लाइसेंसिंग प्राधिकारी/प्राधिकारियों को, जो भी स्थिति हो, या यदि प्रेषण/गन्त
का स्थान भारत में किसी एक्स-फ्रेन्च सेटलमेंटस में है, तो सचिव, साधारण प्रशासन विभाग, पांडिचैरी सरक
को; और

(ख) जहां वस्तुओं के प्रेषण/गन्तव्य का स्थान पोर्ट के अलावा हो—

(i) निर्यात/पुनः आयात के पोर्ट पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को; और

(ii) यदि पथ रेल द्वारा परिवहन को शामिल करता है, तो स्टेशन पर रेलवे प्राधिकारियों को, जहां से परेषण
प्रेषित किया जाना हो।

नियम 36. कतिपय मामलों में सीमा-शुल्क आयुक्त को परिदत्त किये जाने वाले आयुध या गोला-बारूद—ज
भारत में पोर्ट के अलावा पोर्ट के लिए विवश जलयान या एयरक्राफ्ट को इसके पर्यटन की कार्यवाही में भारत में किस
पोर्ट पर बुलाया जाता है, और वहां 48 घंटों से अधिक अवधि के लिए रहता है, तो उस कब्जे के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति
लेने की दायित्व से मुक्त नहीं किसी यात्री के कब्जे में किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद को उसके द्वारा सीमा-शुल्क
आयुक्त को रखे जाने हेतु परिदत्त किया जायेगा, जब तक कि वह यात्री समुद्र या हवा द्वारा, जो भी स्थिति हो, चल
न जाये, और परिदत्त या रखे गये आयुधों या गोला-बारूद के सम्बन्ध में किसी अनुज्ञप्ति को लेना उस यात्री के लि
आवश्यक नहीं होगा।

नियम 37. आयुधों और गोला-बारूद के परिवहन का वर्जन—(1) यहां अन्यथा प्रदान होते हुए भी, कोई
व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत प्रदान अनुज्ञप्ति की शर्तों की अनुपालना में और के अन्तर्गत, के अलावा श्रेणी 5 के
किन्हीं अग्न्यायुधों या किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद का भारत में या उसके किसी भाग में परिवहन नहीं करेगा।

(2) धारा 12 में या उप-नियम (1) में कुछ भी आयुधों या गोलाबारूद को लागू हुआ नहीं माना जायेगा।

(क) उन आयुधों या गोला-बारूद को रखने या परिवहन के लिए विधिक रूप से हकदार व्यक्ति द्वारा स्वयं अप
प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्राओं में व्यक्तिगत रूप से परिवहित या व्यक्तिगत माल के रूप में;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदित स्थापना या सरकारी स्थापना को संबोधित सुपाठ्य मामले य
पैकेज में, प्रूफ-जांच करने के लिए उन वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा परिवहित, य
उस व्यक्ति को उस स्थापना द्वारा पुनः परिवहित के लिए;

(ग) श्रेणी 5 को, एक क्षेत्र के जरिये परिवहित, जहां केन्द्रीय सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 4 लागू करे
या उस क्षेत्र से उस क्षेत्र को, जहां धारा 4 लागू नहीं होती, परन्तु हथियारों को वस्तुओं के वर्णन और परेषी के
नाम और पते को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए पर्याप्त रूप से पैक और लेबल किया गया;

(घ) उनके आयात या निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति की अनुपालना में निर्यात के लिए या आयात के पश्चात् अनुज्ञप्ति
प्राप्त डीलर द्वारा परेषित,—

(i) निर्यात के अन्य स्थान या पोर्ट को प्रेषण के स्थान से, या

(ii) आयात के अन्य स्थान या पोर्ट से गन्तव्य के स्थान को, या

(iii) समुद्र या हवा द्वारा पुनः निर्यात के लिए आयात के पोर्ट में यानान्तरण द्वारा;

(ङ) परिवहित—

(i) अनुज्ञप्ति प्राप्त डीलर के परिसरों से स्वयं अपने प्रयोग के लिए, या किसी अन्य परिसर से परीक्षा या मरम्मत या जांच के प्रयोजनों के लिए, या उन वस्तुओं को रखने के लिए विधिपूर्वक हकदार किसी अन्य व्यक्ति के पतों को, पर्याप्त मात्राओं में उन वस्तुओं को रखने के लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति द्वारा; या

(ii) स्वयं अपने प्रयोग या उसकी आवश्यक मरम्मतों को करने के लिए पर्याप्त मात्राओं में उन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए उस व्यक्ति द्वारा दिये गये आदेश की अनुपालना में उन वस्तुओं को रखने के लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति को सुपाठ्य पतों के मामले या पैकेज में अनुज्ञप्ति प्राप्त डीलर द्वारा;

(च) सद्भावी औद्योगिक, कृषि या चिकित्सा प्रयोजनों के लिए क्लोरेट्स परिवहित करते हुए:

परन्तु—

(i) खण्ड (घ), खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अन्तर्गत आयुधों या गोला-बारूद का परिवहन नियम 50 में प्रदान किये अनुसार वस्तुओं के गन्तव्य पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी से आपत्ति नहीं प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के अनुसार होगा;

(ii) उसके कब्जे की अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र के जरिये उन्हें प्रयोग किये बिना खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (i) में वर्णित किन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत रूप से आयुधों या गोलाबारूद का परिवहन लाइसेंसिंग प्राधिकरण से परिवहन को शुरू करने के स्थान पर उसके परमिट प्राप्त करने के अनुसार होगा; और

(iii) खण्ड (ग) के अन्तर्गत श्रेणी 5 के आयुधों के या खण्ड (च) के अन्तर्गत क्लोरेट्स के परिवहन की पूर्व सूचना प्रेषण के स्थान पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या नजदीकी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जायेगी।

(3) उप-नियम (2) के परन्तुक के खण्ड (iii) के अन्तर्गत पूर्व सूचना को प्राप्त करने वाला अधिकारी या मजिस्ट्रेट तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा, और यदि वस्तुओं को रेल द्वारा परिवहित किया जाये, तो अधिकारिता रखने वाले रेलवे पुलिस के अधीक्षक को—

(i) क्लोरेट्स के परिवहन के मामले में गन्तव्य के स्थान पर, और

(ii) श्रेणी 5 के आयुधों के परिवहन के मामले में उस क्षेत्र में, जहां धारा 4 लागू होती है, प्रविष्टि के स्थान पर।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, ''परिवहन'' में देश के किसी भाग में आयुधों या गोला-बारूद को लाना-ले जाना शामिल है, लेकिन उसी गांव, कस्बे या शहर के भीतर अपनी फैक्टरी, दुकान या व्यवसाय के अन्य स्थानों तक मालगोदाम, गोदाम या किसी अन्य समान स्थान से अनुज्ञप्ति प्राप्त डीलर द्वारा आयुधों या गोला-बारूद को लाना ले-जाना शामिल नहीं होता।

नियम 38. आयुधों या गोला-बारूद का परिवहन—(1) इसे प्रदान करने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से बाहर आयुधों या गोला-बारूद के परिवहन के लिए प्ररूप 20 में प्रदान अनुज्ञप्ति की एक प्रति उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेजी जायेगी, जहां वह स्थान, जिसे वस्तुओं को परेषित किया जाता है, स्थित है, या यदि वह स्थान जम्मू और कश्मीर राज्य में है, तो राज्य सरकार को तुरन्त भेजी जायेगी।

(2) उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर परिवहन के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति की एक प्रति उस स्थान पर, जहां आयुधों या गोला-बारूद को परेषित किया जाता है, अधिकारिता रखने वाले अधीनस्थ मजिस्ट्रेट (यदि कोई हो) को तुरन्त भेजी जायेगी।

(3) जहां आयुधों या गोला-बारूद को रेल द्वारा परिवहित किया जाता है, वहां उस अनुज्ञप्ति की एक प्रति या नियम 50 में निर्दिष्ट आपत्ति नहीं प्रमाण-पत्र की एक प्रति वे-बिल या इनवॉइस के साथ लगाई जायेगी, जो भी स्थिति हो, और प्रत्येक उस परेषण की टेलीग्राफिक सूचना रेलवे प्राधिकारियों द्वारा भेजने वाले स्टेशन से पाने वाले स्टेशन को भेजी जायेगी।

(4) आयुधों या गोला-बारूद के परिवहन की अनुज्ञप्ति को, इसे प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभिलेखित किये जाने वाले विशेष कारणों के होते हुए, अनुज्ञप्ति में वर्णित पथ द्वारा गन्तव्य के स्थान तक यात्रा में लगने की संभावना वाले समय के दुगुने समय की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा:

परन्तु एक बार में वर्ष के त्रैमासिक से अधिक नहीं लम्बी अवधि के लिए अनुज्ञप्ति को उसी जिले के भीतर स्थित, लेकिन उसी इलाके में नहीं, अनुज्ञप्तिधारी की फैक्टरी तक गोदाम से किश्तों में गोला-बारूद के अवयवों को परिवहित करने के लिए औद्योगिक प्रयोजनों के सम्बन्ध में प्रदान किया जा सकेगा। उस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत गोला-बारूद के किन्हीं अवयवों का परिवहन करने वाला अनुज्ञप्तिधारी नजदीकी मजिस्ट्रेट/पुलिस स्टेशन के प्रभारी-अधिकारी को पूर्व

- 19 -

सूचना प्रदान करेगा; और वह गोदाम और फैक्टरी दोनों स्थानों पर प्रयोजन के लिए रखे गये स्कन्ध रजिस्टरों में तत्पर से आवश्यक प्रविष्टियां करेगा।

नियम 39. आयुधों और गोला-बारूद के आयात, परिवहन और पुन: निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति—जहां प्ररू 19 में प्रदान आयुधों या गोला-बारूद के आयात, परिवहन और पुन: निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति के प्राधिकारी के अन्तर्ग आयुधों या गोला-बारूद को—

(क) रेल द्वारा सम्पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र के बाहर परिवहित किया जाना हो, वहां अनुज्ञप्ति की एक प्रति लाइसेंसि प्राधिकारी को और उन स्थानों पर, जहां से परेषण प्रेषित किया जाना है, रेलवे प्राधिकारी को इसे प्रदान करने वा प्राधिकारी द्वारा तुरन्त भेजी जायेगी;

(ख) भारतीय क्षेत्र से बाहर परिवहित किया जाना हो और भूमि या नदी द्वारा पुन: निर्यातित करना हो, वहां अनुज्ञ की एक प्रति उस स्थान पर, जहां से परेषण को भारत की सीमाओं के बाहर जाना है, अधिकारिता रखने वा जिला मजिस्ट्रेट को इसे प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा तुरन्त भेजी जायेगी।

नियम 40. आयुधों और गोलाबारूद रखने वाले परेषणों की प्राधिकारियों द्वारा जांच—(1) (क) (i) ज आयुधों या गोला-बारूद रखने वाले पैकेज या मामले को निर्यात और परिवहन के लिए रेलवे प्राधिकारी के पास शिपिंग अभिकर्ता या जलयान या एयर कैरियर के मालिक के पास लाया जाता है, वहां बाद में, प्रेषण के लिए उनको प्रेषण करने के लिए वस्तुओं को प्राप्त करने से पहले, सत्यापित करेगा कि निर्यात के मामले में मूल अनुज्ञ द्वारा या पुन: आयात के लिए निर्यात के या परिवहन के मामले में अनुज्ञप्ति की सत्यापित प्रति द्वारा उसे सलंग्नित कि जायेगा।

(ii) जहां एक परेषण को आयात जांचने वाले पोर्ट पर प्राधिकारी द्वारा या रेलवे प्राधिकारी द्वारा आयात या परिवह के पश्चात् प्राप्त किया जाता है, वहां वह प्राधिकारी परेषण का परिदान करने से पहले मूल अनुज्ञप्ति की प्रस्तुति व अपेक्षा करेगा।

(ख) जहां भारत की सीमा पर नहीं क्षेत्र को परेषित आयुधों या गोला-बारूद को आयातित किया जाता है, या उ आयुधों या गोला-बारूद का परेषण भूमि या नदी द्वारा निर्यातित किया जाता है, वहां भारत में क्षेत्र पर, जिसमें या जिस से भारत की सीमा पार होती है, अधिकारिता रखने वाला जिला मजिस्ट्रेट या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त अधिका मूल अनुज्ञप्ति को प्रस्तुत करने की अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करेगा और, अपने स्वविवेक में, उस क्षेत्र को छोड़ने लिए स्वीकृति देने से पहले अपने निरीक्षण के लिए आयुधों या गोला-बारूद को प्रस्तुत करने की अनुज्ञप्तिधारी से अपे कर सकता है।

(ग) उपरोक्त प्राधिकारी स्वयं को सन्तुष्ट करेगा—

(i) कि परेषण के साथ लगी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत अनुज्ञप्ति उसको भेजी प्रति के साथ समान है; और

(ii) कि उस अनुज्ञप्ति में दिये गये वर्णन के साथ आयुध या गोला-बारूद तत्स्थानी है।

(2) जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी भी मामले में—

(क) मूल अनुज्ञप्ति परेषति द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाये या मूल अनुज्ञप्ति या उसकी प्रमाणित प्रति को मामले या पैके के साथ, जो भी स्थिति हो, नहीं लगाया जाता, या

(ख) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को भेजी प्रति के साथ समान नहीं है, या

(ग) आयुधों या गोला-बारूद उस अनुज्ञप्ति में दिये गये वर्णन के साथ तत्स्थानी नहीं है,

वहां प्राधिकारी वस्तुओं को प्राप्त या प्रेषित नहीं करेगा या अन्य कार्यवाही करने के लिए वस्तुओं को स्वीकृत न करेगा या परेषण को परिदत्त नहीं करेगा, जो भी स्थिति हो, और, यदि वह मजिस्ट्रेट नहीं हो, तो नजदीकी मजिस्ट्रे को तुरन्त सूचित करेगा।

नियम 41. आयात/निर्यात/परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति की प्रस्तुति और परिदान—(1) अनुज्ञप्ति के अन्तर्ग आयातित/परिवहित आयुधों या गोला-बारूद का परेषिती या अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत निर्यातित आयुधों या गोला-बारूद मामले में उसका अभिकर्ता—

(क) जहां आयात की कार्यवाही में परेषण भूमि या नदी द्वारा भारत के क्षेत्रों से बाहर हो, उस क्षेत्र पर, जिसमें परेष बाहर जाना है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष या उस अन्य अधिकारी के समक्ष, जिसे जिल मजिस्ट्रेट उस सम्बन्ध में नियुक्त करे, बाहर भेजने के छ: दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति को प्रस्तुत करेगा;

(ख) परेषण के पहुंचने के छ: दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति का परिदान करेगा—

(i) गन्तव्य पर, उस परेषण के मामले में, जो भारत में स्थान पर आयातित या परिवहित किया गया, या

(ii) उस क्षेत्र में, जिससे वह परेषण पुन: निर्यात के लिए भारतीय क्षेत्र से बाहर निर्यातित/परिवहित किया जा रहा है, भारत की सीमा से बाहर है, और इसके पार करने से पहले,

उस क्षेत्र पर, जिसमें गन्तव्य या पार करने का स्थान, जो भी स्थिति हो, स्थित है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट हो, या उस अन्य अधिकारी को, जिसे जिला मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार उस सम्बन्ध में नियुक्त करे।

(2) प्रत्येक अधिकारी, जिसे एक अनुज्ञप्ति उप-नियम (1) के अन्तर्गत, प्रस्तुत या परिदत्त की जाती है, स्वयं को सन्तुष्ट करेगा कि—

(क) आयुध या गोला-बारूद अनुज्ञप्ति में प्रदान वर्णन के साथ तत्स्थानी है, और

(ख) किसी भी कमी को उपयुक्त तरीके से पूर्ण किया गया।

(3) यदि अधिकारी, जिसे उप-धारा (1) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति परिदत्त की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अधिकारी है, तो अनुज्ञप्ति उस अन्य अधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी।

नियम 42. नेपाल सरकार य. नेपाल नरेश के लिए आयुधों या गोला-बारूद का आयात, परिवहन और निर्यात—(1) जहां आयुधों या गोला-बारूद को भारत में नेपाल सरकार या नेपाल नरेश हिज मेजेस्टी के प्रेषण के लिए आयातित किया जाता है, वहां ठहरने के पोर्ट पर सीमा-शुल्क प्राधिकारी, अन्य स्थानों में लाइसेंसिंग प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आयुधों या गोला-बारूद की सूची के विरुद्ध परेषण की जांच करेंगे; पैकेजों को उसके पश्चात् सीमा-शुल्क परीक्षक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी की उपस्थिति में मोहरित किया जायेगा।

(2)(क) जहां भारत में आयातित या अर्जित आयुधों या गोला-बारूद को नेपाल सरकार या नेपाल नरेश हिज मेजेस्टी के लिए प्रेषित किया जाना हो, वहां उन्हें उस प्रभाव के लिए सीमा शुल्क के कलक्टर या सम्बन्धित क्षेत्र के लाइसेंसिंग प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र द्वारा सलंग्नित किया जायेगा; प्रमाण-पत्र में तुरन्त पहचाने जाने के लिए समर्थ होने हेतु पर्याप्त प्रत्येक पैकेज या मामले पर चिन्हों के वर्णन को और उस पैकेज या मामले की अन्तर्वस्तुओं के साधारण विवरण को भी शामिल किया जायेगा;

(ख) क्लियरिंग अभिकर्ता या सम्बन्धित फर्म, जो भी स्थिति हो, से आवश्यकता की प्राप्ति पर, जिला मजिस्ट्रेट रेलवे स्टेशन के आवश्यक अनुरक्षण के लिए व्यवस्था करेगा;

(ग) रेलवे प्राधिकारी प्रेषण के लिए आयुधों या गोला-बारूद रखने वाले किसी पैकेज या मामले को तब तक प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि खण्ड (क) के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार प्रमाण-पत्र द्वारा सलंग्न न किया जाये।

(3) जहां किसी मामले में—

(i) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूची को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं किया जाता, या

(ii) भारत से प्रेषित किये जाने के लिए आशयित या आयातित आयुधों या गोला-बारूद उस सूची में दिये गये वर्णन के साथ तत्स्थानी नहीं होते,

वहां सम्बन्धित प्राधिकारी नेपाल को प्रेषित किये जाने वाले परेषण को स्वीकृत नहीं करेगा और केन्द्रीय सरकार को तुरन्त सूचित करेगा।

नियम 43. भारतीय क्षेत्र के जरिये नेपाल में किसी स्थान से नेपाल में किसी अन्य स्थान को आयुधों का परिवहन—(1) नियमों 8 और 28 में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, नेपाल नरेश हिज मेजेस्टी की तरफ से या के द्वारा, या नेपाल सरकार की तरफ से या के द्वारा किये गये आवेदन पर भारत में नेपाल का राजदूत और केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चयीकरण के अनुसार, नेपाल नरेश हिज मेजेस्टी, उससे जुड़े व्यक्ति, उसके भाइयों, नेपाल प्रधानमंत्री और नेपाल सरकार के सैन्य दल या पुलिस द्वारा, जो भी स्थिति हो, श्रेणियों 1 और 2 या किसी अन्य श्रेणी के आयुधों या गोला-बारूद का, भारत की सीमाओं से बाहर उस क्षेत्र में किसी अन्य स्थान को नेपाल के क्षेत्र में किसी स्थान से भारत में आयात, आधिपत्य, परिवहन या निर्यात के लिए प्ररूप 21 में अनुज्ञप्ति को प्रदान कर सकता है।

(2) जहां उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रदान अनुज्ञप्ति के प्राधिकारी के अन्तर्गत, आयुधों या गोला-बारूद को भारतीय क्षेत्र से पार किया जाता हो—

(क) यदि पूर्णतया रेल द्वारा हो, तो अनुज्ञप्ति की एक प्रति क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को राजदूत द्वारा तत्काल भेजी जायेगी, जिन क्षेत्रों के जरिये आयुधों या गोला-बारूद को भारत की सीमाओं से पार

कराया जायेगा और भारतीय क्षेत्र में स्थान के रेलवे प्राधिकारियों को भी तुरन्त भेजी जायेगी, जिस स्थान के जरिये परेषण गुजरेगा;

(ख) यदि सड़क या नदी द्वारा हो, तो अनुज्ञप्ति की एक प्रति क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेजी जायेगी, जिन क्षेत्रों के जरिये आयुधों या गोला-बारूद को भारत की सीमाओं से नेपाल पार कराया जायेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, या केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राजदूत इस नियम में उल्लेखित आयुधों या गोला-बारूद को भारत की सीमाओं से नेपाल के लिए सुरक्षित भेजे जाने को विनियमित करने के लिए किसी आदेश को दे सकता है।

नियम 44. सद्भावी यात्रियों के लिए पारगमित अनुज्ञप्तियां—(1) जहां प्ररूप 22 में एक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, वहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी उस प्रभाव के लिए पर्यटक के पासपोर्ट/वीसा को प्रेषित करेगा।

(2) प्ररूप 22 में प्रदान प्रत्येक अनुज्ञप्ति की एक प्रति राज्य सरकार के उस अधिकारी को तुरन्त भेजी जायेगी, जिसमें भारत से उसके रवाना होने का स्थान स्थित है, जिसे राज्य सरकार या संघ क्षेत्र के प्रशासक या स्थानापन्न-गवर्नर या मुख्य आयुक्त, जो भी स्थिति हो, द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सशक्त किया जाये।

(3) (क) अनुज्ञप्तिधारी, जब भारत में हो, उस स्थान के, जहां वह विक्रय या अन्तरण प्रभावित होने वाला है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत्त किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद का विक्रय या अन्तरित नहीं करेगा। वह भारत को छोड़ते समय, लाइसेंसिंग प्राधिकारी की स्वीकृति, या आयुधों या गोला-बारूद को प्रस्तुत करेगा, जो भी स्थिति हो, और पासपोर्ट जांचने वाले प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त अन्य प्राधिकारी को पोर्ट पर या भारत से जाने के अन्य स्थान पर अपनी अनुज्ञप्ति को लौटा देगा;

(ख) पासपोर्ट जांचने वाला प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति लौटायी जाती है, उस प्राधिकारी को, जिसने इसे जारी किया, इन टिप्पणियों के साथ इसे भेज देगा कि आयुधों या गोला-बारूद को खण्ड (क) के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार सम्बन्धित प्राधिकारी की अनुमति से सम्यक् रूप से निर्यातित या विक्रय या स्थानान्तरित किया गया।

नियम 45. आयुधों और गोला-बारूद को अभिरक्षा में रखने की अनुज्ञप्ति—प्ररूप 14 में अनुज्ञप्तिधारी आयुधों या गोला-बारूद की अभिरक्षा को स्वयं को सन्तुष्ट किये बिना स्वीकार नहीं करेंगे, कि जमाकर्ता या किसी व्यक्ति की तरफ से कोई द्वेषपूर्ण आशय नहीं है, जिसकी तरफ से जमा कराया गया। डीलर या तो व्यक्तिगत रूप से नजदीकी पुलिस स्टेशन और जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा, या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को पंजीकृत डाक द्वारा उन आयुधों या गोला-बारूद की जमा या लौटाने या निपटारे के दिन, जो भी स्थिति हो, सूचना प्रेषित करेगा।

नियम 46. धारा 21 के अन्तर्गत आयुधों और गोला-बारूद को जमा कराना—(1) जब एक लाइसेंसिंग प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंहरित करने को निर्धारित करता है, या इसे नवीनीकृत करने से मना करता है, तब यह, जब अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में अपने निर्णय की संसूचना कर रहे हों, उसे सूचित करेगा कि—

(क) धारा 21 (1) के अन्तर्गत, उसे उस समय के भीतर, जिसे निलम्बित, प्रतिसंहरित करने के आदेश में या अनुज्ञप्ति नवीनीकृत करने से मना करने के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, अनुज्ञप्ति द्वारा आवृत्त आयुधों या गोला-बारूद को या तो नजदीक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले डीलर के पास जमा करने की अपेक्षा है, या यदि वह संघ के आयुध बलों का एक सदस्य हो, इकाई शस्त्रागार में;

(ख) धारा 21(2) के परन्तुक के अनुसार, उप-नियम (4) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के दौरान, वह या, उसकी मृत्यु के मामले में, उसका विधिक प्रतिनिधि उसे रखने के लिए विधिपूर्वक हकदार किसी व्यक्ति को आयुधों या गोला-बारूद के विक्रय या अन्यथा निपटाने और विक्रय प्रतिफलों को प्राप्त करने, यदि कोई हो, के लिए विधिपूर्वक हकदार है; और

(ग) यदि आयुधों या गोला-बारूद को निपटाया नहीं जाये, या अनुज्ञप्तिधारी या उसके विधिक प्रतिनिधि, जो भी स्थिति हो, द्वारा उनका कब्जा निर्धारित अवधि के भीतर विधिपूर्ण नहीं हो, तो वे धारा 21 (3) के परन्तुक के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा सरकार को समपहरित किये जायेंगे।

(2) जहां किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद को पुलिस स्टेशन या इकाई शस्त्रागार में या प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले डीलर के पास धारा 21 (1) के अन्तर्गत मालिक द्वारा जमा कराया जाता है, तो पुलिस स्टेशन या इकाई शस्त्रागार का प्रभारी-अधिकारी या अनुज्ञप्ति प्राप्त डीलर, जो भी स्थिति हो,—

(क) जमा करायी प्रत्येक वस्तु पर निम्नलिखित दर्शाते हुए एक कार्ड लगायेगा—

धारा 21 (1) के अन्तर्गत जमा—

(i) वस्तु का वर्णन (नं. इत्यादि) .....

(ii) छूट की अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां (यदि कोई हो) .....

(iii) जमाकर्ता का नाम और पता .....

(iv) रजिस्टर में क्रम सं. और जमा की तिथि .....

(v) समपहरण/निपटारे के लिए देय तिथि .....

(vi) .....

(जमाकर्ता के हस्ताक्षर)

(vii) .....

डीलर या/पुलिस स्टेशन/इकाई शस्त्रागार के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

(ख) जमाकर्ता को (क) के अनुसार वर्णनों को रखते हुए रसीद जारी करेगा; और (ग) उस प्राधिकारी को रसीद की एक प्रति तुरन्त भेजेगा, जिसने अनुज्ञप्ति प्रदान की या अन्त में इसे नवीनीकृत किया।

(3) (क) (i) धारा 21(1) के अन्तर्गत इकाई शस्त्रागार में जमा किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद को, जब तक कि लौटाया न जाये या पूर्व में निपटाया न जाये, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा के पश्चात् 30 दिनों की अवधि के समाप्ति के पश्चात् अन्तरित किया जा सकेगा।

(ii) धारा 21 (1) के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन में जमा किन्हीं आयुधों या गोला-बारूदों को, जिन्हें जमा के 30 दिनों के भीतर लौटाया या निपटाया नहीं गया, और खण्ड (i) के अन्तर्गत अन्तरित किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद को उत्तम रख-रखाव की सुविधा या सुरक्षा के लिए जिला/तालुका मुख्यालयों में पुलिस शस्त्रागार को या उस अन्य स्थान को, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, उन निर्देशों की अनुपालना में, जिसे प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाये, अन्तरित किया जा सकेगा:

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, जब वह इसे आवश्यक विचारित करे, 30 दिनों की उस अवधि को बढ़ा सकता है।

(ख) उस अन्तरण की सूचना वस्तु के जमाकर्ता और लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रदान की जायेगी, जिसने वस्तु के लिए अनुज्ञप्ति को प्रदान किया या अंत में नवीनीकृत किया।

(4) अवधि, जिसके भीतर जमाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि धारा 21 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अपने अधिकारों को प्रयुक्त कर सकता है—

(क) जमा की तिथि से छः महीने, यदि आयुधों या गोला-बारूद को अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के उल्लंघन या परिणामस्वरूप इसके मालिक द्वारा जमा कराया जाता है।

(ख) एक वर्ष—

(i) जमा की तिथि से, यदि आयुधों या गोला-बारूद को खण्ड (क) के अन्तर्गत के अनुसार अन्यथा धारा 21 (1) के अन्तर्गत विधिपूर्ण होते हुए इसके कब्जे के परिणामस्वरूप जमा कराया जाता है; या

(ii) यदि यह पहले से जमा कराया गया हो, अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण, निलम्बन के आदेश या नवीनीकरण से मना करने के आदेश को मालिक की संसूचना की तिथि से; या

(iii) धारा 4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना की तिथि से:

परन्तु खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत किसी अवधि को प्रतिसंहरित किया जायेगा—

(i) जहां अपीलीय प्राधिकरण के अन्तिम आदेश की तिथि से धारा 18 के अन्तर्गत मालिक द्वारा एक अपील प्रस्तुत की जाये;

(ii) जहां आयुध या गोला-बारूद विधिक वाद या विवाद का विषय हो, या उस व्यक्ति द्वारा अपनाये या प्राप्त किये गये हो, जिसने विवाद के समाप्ति की तिथि से 16 वर्षों की आयु पूर्ण नहीं की हो या उस व्यक्ति द्वारा 16 वर्षों की आयु पूर्ण की जाने वाली हो; और

(iii) जहां आयुधों या गोला-बारूद का मालिक अपने भारत लौटने की तिथि से भारत के बाहर सक्रिय सेवा पर है:

परन्तु और—

(i) जब आयुधों या गोला-बारूद को उस व्यक्ति द्वारा अपनाया गया हो, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किसी कारण के लिए आयुधों या गोला-बारूद के परिवहन के लिए तत्समय असक्षम रूप में विचारित किया गया, या किसी अन्य उपयुक्त मामले में, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर, किसी महानगरीय क्षेत्र के संबंध में, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि को छः महीनों तक की अवधि के लिए बढ़ा सकता है; और

(ii) राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा छः महीनों से अधिक अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु और जब आयुध या गोलाबारूद को उस व्यक्ति द्वारा अपनाया गया, जिसे किसी कारण के लिए आयुधों या गोला-बारूद के परिवहन के लिए तत्समय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा असक्षम रूप में विचारित किया गया, खण्ड (क) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि को उचितता से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, या पुलिस कमिश्नर द्वारा, किसी महानगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) दो वर्ष, यदि अग्न्यायुधों को धारा 3 की उप-धारा (2) के परन्तुक के परिणामस्वरूप जमा कराया जाता है।

(5) (क) उप-नियम (4) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले न लौटाये या न निपटाये किसी आयुध या गोला-बारूद को जिला मजिस्ट्रेट को अधिसूचित किया जायेगा; और उप-नियम (4) के परन्तुकों और धारा 21 (3) के परन्तुक के अनुसार, धारा 21 (3) के अन्तर्गत समपहरण के प्रयोजन के लिए जिला मालखाना या उस अन्य स्थान को अन्तरित किया जायेगा, जिस प्रकार से जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा अपेक्षित हो।

(ख) जिला मजिस्ट्रेट, निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् समपहरण के आदेश को करने से पहले, उस तरीके में धारा 24 (4) के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार सूचना की तामिल करेगा, जिस प्रकार से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का सं. 5) के अन्तर्गत समनों की तामिली के लिए हो:

परन्तु संघ के आयुध बलों के सदस्य के रूप में जमाकर्ता के होने के मामले में, सूचना उस सदस्य के कमान्डिंग अधिकारी के जरिये व्यक्तिगत रूप से तामील की जायेगी।

(6) जमा वस्तुओं को अच्छी स्थिति में रखने के लिए प्रभारों को उन दरों पर लगाया जा सकेगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये।

नियम 47. धारा 21 के अन्तर्गत अन्यथा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आयुधों और गोला-बारूद को जमा कराना—(1) (क) आयुधों या गोला-बारूद को विधिपूर्वक रखने वाला व्यक्ति सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे प्ररूप 14 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले डीलर के पास या पुलिस स्टेशन में, या यदि वह संघ के आयुध बलों का सदस्य हो, तो इकाई शस्त्रागार में जमा करा सकता है;

(ख) धारा 21 (1) के अन्तर्गत अन्यथा जमा के लिए आयुधों या गोला-बारूद को स्वीकृत करने से पहले, डीलर या पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या इकाई शस्त्रागार स्वयं को सन्तुष्ट करेंगे कि उनका कब्जा अधिनियम और इन नियमों के अन्तर्गत जारी मान्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत या उस अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यकता से छूट के अन्तर्गत है;

(ग) संघ के आयुध बलों के सदस्यों को केवल उनकी सेवा के कार्यकाल के दौरान इकाई शस्त्रागार में सुरक्षित अभिरक्षा में उनके आयुधों या गोला-बारूद को रखने के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) जहां आयुधों या गोला-बारूद को उप-नियम (1) के अन्तर्गत जमा कराया गया, वहां डीलर या पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या इकाई शस्त्रागार—

(क) जमा की गयी प्रत्येक वस्तु के साथ धारा 46 (2) (क) में वर्णित उससे आसानी से अलग करने योग्य निम्नलिखित को दर्शाते हुए एक कार्ड लगायेगा:—

सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा:—

(i) वस्तु का वर्णन (सं., इत्यादि) .....

(ii) जमाकर्ता का नाम और पता .....

(iii) अनुज्ञप्ति/छूट की विशिष्टियां .....

(iv) रजिस्टर में क्रम सं. और जमा की तिथि .....

(v) अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि .....

(vi) किस तिथि तक जमा की गई .....

(vii) .....

(जमाकर्ता के हस्ताक्षर)

(viii) .....

डीलर या पुलिस स्टेशन/इकाई शस्त्रागार के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

(ख) खण्ड (क) के अनुसार सभी विशिष्टियों को देते हुए एक रसीद जमाकर्ता को जारी करना; और

(ग) उसी दिन, उस प्राधिकारी को रसीद की एक प्रति भेजना, जिसने अनुज्ञप्ति प्रदान की या अन्त में नवीनीकृत किया।

(3)(क) अनुज्ञप्ति को नवीनीकृत करने से असफलता की अवस्था में, आयुध या गोला-बारूद को लगातार रूप से प्ररूप 14 में उसकी अनुज्ञप्ति के प्राधिकारी पर डीलर द्वारा या पुलिस स्टेशन या इकाई शस्त्रागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखा जायेगा; लेकिन, यदि अनुज्ञप्ति को इसकी समाप्ति के पश्चात् तीन वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत नहीं किया जाता, तो डीलर या पुलिस स्टेशन या इकाई शस्त्रागार का प्रभारी अधिकारी इसे उस कार्यवाही के लिए, जिसे वह आवश्यक विचारित करे, जिला मजिस्ट्रेट की सूचना में लायेगा।

(ख) वस्तुओं को किसी भी मामले में मालिक को तब तक नहीं लौटाया जायेगा, जब तक कि उनको रखने के लिए अनुज्ञप्ति को नवीनीकृत नहीं किया जाता या नयी अनुज्ञप्ति को प्राप्त नहीं कर लिया जाये।

(4) जमाकर्ता से निम्नलिखित दरों पर जमा की गई वस्तुओं की अभिरक्षा के लिये फीस ली जा सकेगी:—

1. प्रत्येक अग्न्यायुध के लिए—प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए पचास रुपये

2. प्रत्येक अन्य हथियार या गोला-बारूद के पैकेज के लिए—प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए रु. 25

अच्छी स्थिति में वस्तुओं के रख-रखाव के लिए किन्हीं अतिरिक्त प्रभारों को उन दरों पर लगाया जा सकेगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये।

नियम 48. जमा वस्तुओं के अभिलेख और विवरणियां—(1) डीलर या पुलिस स्टेशन या इकाई शस्त्रागार का प्रभारी अधिकारी उन रजिस्टरों को रखेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

(3) अनुज्ञप्ति प्राप्त डीलर या पुलिस स्टेशन या इकाई शस्त्रागार या नियम 46 (3) (क) (ii) के अन्तर्गत किसी अन्य स्थान का प्रभारी अधिकारी, जहां आयुधों या गोला-बारूद को रखा जाता है, प्रत्येक वर्ष की 15 दिसम्बर तक जिला मजिस्ट्रेट को अपनी अभिरक्षा में आयुधों या गोला-बारूद की विशिष्टियों को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो उस वर्ष की समाप्ति तक समपहरित किये जाने की दायी है या दायी होगी।

नियम 49. निरीक्षण—(1) पुलिस स्टेशन के या डीलर के पास जमा आयुधों और गोला-बारूद और जिला मालखाने को उनके अन्तरण और प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उस प्रक्रिया की अनुपालना में, जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी द्वारा समयकालिक निरीक्षण किया जायेगा।

(2) इकाई शस्त्रागार में जमा आयुधों या गोला-बारूद और इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर का यूनिट पर कमान्डिंग अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना में उसके द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा समयकालिक निरीक्षण किया जायेगा, जहां इकाई तत्समय स्थित है।

नियम 50. कतिपय मामलों में पूर्व सहमति—(1) इसे स्वीकार करने वाले अधिकारी के प्राधिकरण की स्थानीय सीमाओं से अधिक प्रभाव रखने वाली अनुज्ञप्ति को यह सुनिश्चित किये बिना उस स्थान को किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद के परिवहन या निर्यात या पुनः आयात के लिए प्रदान किया जायेगा, कि निम्नलिखित की तरफ से उस अनुज्ञप्ति को प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है—

(i) उस क्षेत्र पर, जिसमें वह स्थान स्थित है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से; या

(ii) जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार से, यदि वह स्थान उस राज्य में है; या

(iii) सचिव, साधारण प्रशासन विभाग, पांडिचेरी सरकार, यदि वह स्थान भारत में एक्स-फ्रेंच सेटलमेंट्स में कहीं पर है।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए—

(i) "आपत्ति नहीं" प्रमाण-पत्र को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा; या